International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(III), January - March, 2022, pp.126-128

जैविक पारिस्थितिकी संरक्षण में विधि सम्मत निर्णयः आवास संकल्पना के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. राजश्री चौधरी*

प्रस्तावना

'संरक्षण' एक ऐसा शीर्षक शब्द है, जो स्वयं में एक वृहद् अर्थ, सार्थकता, प्रमाणिकता एवं शाश्वत परिभाषा से पल्लवित है। संरक्षण के अभाव में विश्व की कई महत्वपूर्ण धरोहरें जर्जर होती जा रही है। संरक्षण की छत्रछाया अधिक प्रभावी होती है। संरक्षित संसाधनों की स्थितियां सदैव संतुलित रहती है। गर्भधारण से मृत्युपर्यन्त संरक्षण अति महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जीवन श्रृंखला को सम्बद्ध रखता है। जैविक श्रृंखला में संरक्षण के इसी महत्व को देखते हुए विश्व के विज्ञानियों ने चेतना स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को समझते हुए वैश्विक मुहिम चलाई कि हमें यदि स्वस्थ पर्यावरण चाहिये तो हर हाल में हमको विश्व स्तर पर पर्यावरण को होने वाले क्षय पर नियन्त्रण प्राप्त करना ही होगा। पर्यावरण प्रदूषण ने वैश्विक विनाश के आधार बना दिये है और यदि समय रहते जनसामान्य से लेकर औद्योगिक व प्रशासनिक प्रयासों को सुचारू स्वरूप नहीं दिया जाता है तो यह प्रदूषण व्यापक होता ही जायेगा और अपने विभिन्न रूपों से जलवायु क्रम को विधिन्न करते हुए समस्त पारिस्थितिकी तन्त्र को विकृत कर देगा। पारिस्थितिकी तन्त्र में आए दिन बदलाव देखने को मिलते है, इन बदलावों से जैव श्रृंखला के घटक कुप्रभावित होते है। बढ़ते जनसंख्या दबाव, औद्योगिकीकरण, बाजारवाद, पूंजीवाद व संसाधनों की प्राप्ति के क्षेत्र में एकाधिकार की होड़ ने विकसित व विकासशील देशों में एक खाई उत्पन्न कर दी है। प्रदूषण को रोकने के प्रति नैतिक आधारों की आवश्यकता है। इस संबंध में श्रीयुत् मारग्रेट ग्रीड कहते है कि ''यदि हमने पर्यावरण को नष्ट किया तो हमारा समाज भी नष्ट हो जावेगा।''[1] अर्थात् यहां समाज का होना पर्यावरण के साथ अर्न्तसंबंधित है। महात्मा गांधी ने कहा कि ''प्रकृति के पास प्रत्येक मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सम्पदा है परन्तु लालच की पूर्ति के लिये नहीं।''[2] गांधीजी के कथनानुसार हम समस्त विश्ववासी की पर्याप्त पूर्ति जिससे होती है, हम यदि उसी प्रकृति के प्रति संयत ना रहे तो क्या होगा? समस्त पर्यावरण का स्वस्थ होना ही जीवन है।

पारिस्थितिकी का सीधा अर्थ है, जीवों को जीवन के लिये स्थान की उपयुक्तता प्रदान करने की जगह या अवस्था। इसमें सम्पूर्ण जैव मण्डल निहित है, अतः हम इसे जैव पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते है। यूनानी शब्द 'आइकॉस' से उत्पन्न पारिस्थितिकी शब्द से तात्पर्य यह भी है कि 'घर' अथवा निवास स्थान। प्रो. सत्येष चक्रवर्ती पारिस्थितिक के बारे में अपनी राय रखते है कि ''पारिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जो समस्त जैविकीय जीवों के अन्तर्संबंधों व उन सभी के भौतिक पर्यावरण के सबंधों में का अध्ययन है जो उनके वातावरण क्षेत्र में स्थित हो।''[3] पारिस्थितिकी तंत्र को विज्ञान मानना अनिवार्य तो है किन्तु इसे पहुंचने वाली हानियों के संबंध में निराकरण भी आवश्यक हो गए है। ''यूनेस्को ने 1971 में एक दीर्घकालिक अन्तर्राज्यीय कार्यक्रम मनुष्य और जैव मण्डल प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य जैव मण्डल के विभिन्न पारिस्थितिकी तन्त्रों की सरंचना व कार्यप्रणाली पर

* सह आचार्य, विधि महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

1 मारग्रेट नीड

2 मोहनदास कर्मचन्द गांधी

3 प्रो. सत्येश चक्रवर्ती–

मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रभावों तथा इन परिवर्तनों में मनुष्य पर हो रहे प्रभावों का अध्ययन करना है।''[1] प्रत्येक मनुष्य के मूलाधिकारों में प्रकृति से प्राप्त करने आकांक्षा रहती है, तब तक ठीक है किंतु अतिदोहन घातक होता है। भारतीय संविधान का अनु. 32, राष्ट्रीय नागरिकों को अनुच्छेद 21 के मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय की शरण लेने की अनुज्ञा देता है। इसी संबंध में तथ्य है कि विपरीत व्यवहार की स्थिति में सरकारी दायित्व सही ढंग से कार्य रूप में नहीं आ रहे हो तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना पड़ता है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन होने के मामलों को देखा जाता है। यह व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का संवैधानिक हक है। लोक व्यवहार में पारिस्थितिकी साधरण अर्थों में परिभाषित होती है किंतु न्यायिक परिभाषा में इसका क्षेत्र बहुत वृहद् होता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के समर्थक के बारे में एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, मामले की सुनवाई के निर्णायक समय कहा कि–

''वह (याची) ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के जीवन संबंधी हित को प्रतिरक्षित करने की बात करता है एवं पवित्र गंगा जल प्रयोग करने की बात करता है तथा उस पवित्रता एवं वातावरण को बनाए रखने का विचार प्रस्तुत करता है।''[2] यहां न्यायालय का ध्यान विधि सम्मत होने के साथ एक याची की पर्यावरण के प्रति संवेदना व मनोभावों की कद्र भी की। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले की सुनवाई में यह अभिनिर्णय लिया कि ''जीवन, लोक स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी को बेरोजगारी एवं रेवेन्यू समस्याओं पर अधिमान्यता दी जायेगी।''[3] यहां पर स्पष्ट रूप से परिवेश के जैव पारिस्थितिकी तंत्र की पैरवी की गई। न्यायालय ने वी. लक्ष्मीपथी बनाम स्टेट, (ए. आई. आर. 1992 कर्नाटक 57)''[4] के मामले राज्य के आवासीय प्लान में औद्योगिकी प्रस्थापनाओं को चुनौती देते यात्रियों की समस्या सुनवाई करते हुए कर्नाटक प्रांत के स्वास्थ्य एवं नगरीय विभाग द्वारा सी.आई.टी.बी. को बंगलौर नगर निगम को स्वच्छता के बारे में निर्देशित किया। इस प्रकार से उद्योगों की स्थापना को विधि के प्रतिकूल कहा। जैव पारिस्थितिकी का संतुलन बिगाड़ते वादों में एक वाद महत्वपूर्ण रूप से निर्णित हुआ, वह है– वेल्लोर सिटीजन वेल्फेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए. आई. आर. 1996, एस. सी. 2715, इसमें तमिलनाडु में चर्मशोधन कारखानों द्वारा जन स्वास्थ्य व पल्लार नदी के स्वास्थ्य के साथ चर्म शोधित गन्दा जल जिससे 35000 हेक्टेयर भूमि की अनुपयोगिता वाली स्थिति पर चर्चा हुई जिस पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि बोर्ड को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति प्राप्त है कि पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के विरूद्ध उचित कार्यवाही सम्पादित करे। बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किये गए मानक ही अनुपालनीय होंगे। पर्यावरण की स्थिति से इस मामले में दिखती छेड़खानी व पारिस्थितिकी व्यवस्था की स्थिति प्रदर्शित होती है।

जैव पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवास, निवास, आहारा–विहार इत्यादि की मौलिक स्वतन्त्रता आवश्यक है और पर्यावरण में इन घटकों की सम्पूर्ति के जो संसाधन है उनका संतुलित उपयोग हो। संविधान का अनु. 14 समानता तथा न्यायाधारित आदर्श समाज की अपेक्षा सभी से रखता है। यह एक तरह से पारिस्थितिकी विधि क्षेत्र के दायरे में ही आता है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के दायरे में न्यायपालिका के विधि सम्मत निर्णय सदा ही आदर्श समाज व संविधान के आधारों के अनुरूप होते है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति डॉ. नगेन्द्र सिंह ने कहा कि ''सुरक्षित एवं पर्याप्त वातावरण में शांतिपूर्वक ढंग से रहने का मानव का अधिकार है जो इसके मूलभूत अस्तित्व से सम्बंधित है ऐसी स्थिति में मानव के अपने अस्तित्व का मूलभूत कारण है, उसे निसन्देह भौतिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या भौतिक अधिकार का नाम दिया जाना चाहिए।''[5] इस सन्दर्भानुसार स्पष्ट होता है मानवीय जीवन पर्यावरण के विभिन्न स्तरों से प्रदूषित हो जाने के कारण अतिसंकटमयी होता जा रहा है, अतः मानवीय आवश्यकताओं का पर्यावरण मुद्दें से तालमेल रखा जाना चाहिये। सुखाधिकार मानवीय जीवन एवं पर्यावरण के संयोजित स्वरूप की

---

1 डॉ. हेमबारी– पर्यावरण विधि, पृ. 9
2 ए.आई.आर. 1988, एस.सी. 115
3 ए. आई. आर. 1988, एस. सी. 1037
4 ए. आई. आर. 1992 कर्नाटक, 57
5 डॉ. हेमबारी– पर्यावरण विधि – पृ. 27

मध्यस्थ कही है, और 'सुखाचारा अधिनियम 1882 की धारा–4, धारा–15, धारा–28 खण्ड (घ) इसकी व्याख्या करते है। सुखाधिकार मानव के पारिस्थितिकी सम्बंधों से जुड़ा तो किन्तु इसे धारा–28 खण्ड (घ) एक सीमित अधिकार रूप में निर्धारित करती है। ''पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा–7 में भी निर्धारित मात्रा में वायु, जल, भूमि तथा पर्यावरण में पर्यावरण के निस्सारण व उत्सर्जन को प्रतिबंधित किया गया है।''[1] समाज का कोई भी व्यक्ति यदि असंवैधानिक व्यवहार का दोषी हो तो उस पर दण्डनीय कार्यवाही निश्चित होती है। पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी समस्याओं के सम्बंध मे श्री सचिदानन्द पाण्डेय बनाम पश्चिमी बंगाल[2] नामक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारण किया गया कि जब भी न्यायालय के समक्ष पारिस्थितिकी से संबंधित कोई समस्या लायी जायेगी न्यायालय अनुच्छेद 48 क और 51 क (छ) को ध्यान में रखकर समुचित आदेश दे सकता है। ''ऐसे ही एक अन्य उदाहरण के रूप जैविक सम्पदाओं के संरक्षणार्थ एक मामले का न्यायिक निर्णय ले सकते है, जो ये है– किंकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश''[3] इस मामले में शिवालिक पहाड़ी मेंदबे चूना पत्थरों को अंधाधुंध दोहन विधि से व्यापारिक मुनाफे के लिए खोदकर निकाले जाने की आपत्ति पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ''यदि पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये गये, तो जनता को प्रदत्त अनु. 14 व 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होगा।'' इस संबंध में आगे न्यायालय ने और कहा कि राज्य अनुच्छेद 51(क) (छ) व 48 क के तहत पर्यावरण के सुधार व जंगल के संरक्षण व संवर्धन जीव, जन्तु, नदी, झील सभी देश के पानी के साधनों के सांविधानिक दायित्वों का निर्वाह होगा। पारिस्थितिकी मण्डल की इन सभी जैव सम्पदाओं पर मानवीय जीवन की निर्भरता की समझ को समझते हुए न्यायिक रूप से निराकरण निकाला जाना, न्याय व्यवस्था द्वारा पर्यावरण को पोषण देने के समकक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में भारतीय न्यायव्यवस्था की समझ से कुछ ऐसे वादों का निराकरण हुआ जिनमें न्याय वांछित ही था। यथा– 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य'[4] मेनकागांधी बनाम भारत संघ[5] 'बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसियेशन बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलकत्ता एवं अन्य',[6] मौला मुफ्ती सैय्यद बरकारी व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य'[7] इत्यादि। जैवपारिस्थितिकी के दायरे में शोर प्रदूषण को घातक माना जाता है। यह एक तरह को लोक उपताप उत्पन्न करता है, जल–प्रदूषण जलीय आपूर्तियों के संसाधनों को विनष्ट करने का कार्य करता है, इन दोनों से जैवमण्डल की गतिशीलता मे आमूल–चूल परिवर्तन आते है।

'वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य'[8] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिकी के संतुलन संबंध में निर्णय सुनाया। इसमें वनों के पोषणीय प्रयोग और वनवासियों के अधिकार में संतुलन रखने का सम्प्रेषण किया गया। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के बारे में हमें झलक गोथम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम अमूल्य कृष्णघोष[9] के मामले में मिलती है। इसमें आवासीय कॉलोनी में कारखाने होने व उससे निसरित ध्वनि से वहां के निवासियों की असुविधाओं के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया। न्यायालयों की सक्रियावादी, निराकरणमयी छवि इस प्रकार हमारे दिमाग में अभिट रहती है। वायुमण्डल पारिस्थितिकी तन्त्र एक हिस्सा जिससे शुद्ध प्राणवायु की अपेक्षा हम सभी रखते हैं और यहां से यदि प्रदूषित हवा मिलने लगे तो हानिप्रद ही है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 278 में वायुमण्डलीय प्रदूषण के संबंध प्रावधान मिलते है। इसी प्रकार जलीय स्त्रोतों के प्रति यदि असंवेदनशील व्यवहार दिखता है, प्रदूषण सिद्ध होता है तो इस संबंध में विधि क्षेत्र में प्रावधानुसार मदद लेते हुए संरक्षण के कार्य करते रहना चाहिए।

❖◆❖

1 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, धारा–7
2 श्री सचिदानन्द पाण्डेय बनाम पश्चिमी बंगाल,
3 AIR 1988; H.P. 4
4 1990 (1 SCC 598)
5 AIR 1978 SC 507
6 1998; कलकत्ता 1211
7 AIR 1999 कलकत्ता 815
8 ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 374; देखें, वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश (1992), 2 एस.सी.सी. 212, वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1993) 2 एस.सी.सी. 612 भी.
9 ए. आई. आर. 1987 कलकत्ता 19